संख्या–54/XVI-2/18/7(09)/2017

प्रेषक,

डा. मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2

देहरादूनः दिनांकः 08 फरवरी,2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुपूरक मांग के माध्यम से चाय विकास हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, चाय विकास बोर्ड के पत्र संख्याः 776/3–लेखा/2017–18,दिनांकः 11 जनवरी 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में वित्त विभाग के अ.शा.संख्याः1362/3(150)XXVII(1)/2017,दिनांकः 27.12.2017 एवं शासनादेश संख्याः729/xvi–2/17/7(09)/2017 दिनांकः04 सितम्बर 2017 में उल्लिखित शर्तो की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चाय विकास बोर्ड हेतु अनुदान संख्या–29 की योजना अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि **₹200लाख(रूपये दो करोड़ मात्र)की** धनराशि वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–29 में लेखाशीर्षक 2401 फसल कृषि कर्म, 119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 06–चाय विकास योजना, 0602–राज्य में चाय विकास की योजना के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. संख्या–164/XXVII(4)/2017, दिनांक–02 फरवरी 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा. मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

संख्या–54 (1)/XVI-2/18/7(09)/2017,तददिनांक ।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार,उत्तराखण्ड।
2–जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
3–निदेशक, चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा।
4–वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/रानीखेत।
5–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड
6–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
7–वित्त अनुभाग–4,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।